**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 136**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**भीड़ द्वारा हत्या किए जाने से संबंधित विधेयक**

**\*136. प्रो॰ मनोज कुमार झाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने देश भर में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामलों के संबंध में कोई आंकड़ा एकत्रित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) क्या सरकार कोई ऐसा नया विधेयक लाने की योजना बना रही है, जो सम्पूर्ण भारत पर लागू हो और भविष्य में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोक पाए?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**-2-**

**रा.स.ता.प्र.सं. 136 दिनांक 04.03.2020**

**‘भीड़ द्वारा हत्‍या किए जाने से संबंधित विधेयक’ के बारे में दिनांक 04 मार्च, 2020 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*136 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी), “क्राइम इन इंडिया” रिपोर्ट में सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त अपराध के आंकड़ों को उन विभिन्‍न अपराध शीर्षों के अंतर्गत प्रकाशित करता है, जो भारतीय दंड संहिता तथा विशेष एवं स्‍थानीय कानूनों के तहत स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित हैं। एनसीआरबी भीड़ द्वारा हत्‍या करने के संबंध में कोई आंकड़े अलग से नहीं रखता है।

(ख): भीड़ द्वारा हत्‍या करने की घटनाओं पर कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के अंतर्गत की जाती है, जिसमें यह प्रावधान है कि जो भी कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और साथ ही उसे आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। हत्‍या का अपराध एक संज्ञेय, गैर-जमानती और अप्रशम्‍य (नान-कम्‍पाउंडेबल) अपराध है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्‍यवस्‍था‘ राज्‍य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्‍यम से अपराध को रोकने, उनका पता लगाने, उनका पंजीकरण और जांच करने तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग): सरकार ने मौजूदा दाण्डिक कानूनों यथा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, आयुध अधिनियम, स्‍वापक औधषि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम आदि की व्यापक समीक्षा की है ताकि उन्हें कानून-व्‍यवस्‍था की वर्तमान स्थिति के लिए तथा साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को शीघ्रता से न्याय प्रदान करने के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके। भारत सरकार एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने की मंशा रखती है, जो नागरिक-केंद्रित हो तथा जीवन को सुरक्षित बनाने और मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देता हो।

\*\*\*\*\*